कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, आरा
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-02/2010-11

मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य 3054 सड़क एवं सेतु 04 जिला तथा अन्य सड़के-105 रख-रखाव तथा मरम्मति-0001 ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय के अन्तर्गत-2701 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद में उन्नयन हेतु ग्रामीण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग में उचित श्रेणी निबंधित संवेदकों से 2 (दो) मुहरबंद लिफाफों में (जो एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद रहेगा) एवं 1 (एक) मुहरबंद लिफाफा में जो अंततः लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ-2 पर अंकित किया जायेगा, निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रथम लिफाफे (तकनीकी बीड) में जिसके उपर लिफाफा संख्या-1 हो, क्रमशः (1) ग्रामीण कार्य विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधन प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति (2) अद्यतन लेबर लाईसेंस की सत्यापित छायाप्रति (3) वाणिज्यकर/वैट प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति। (4) अद्यतन वाणिज्यकर/वैट स्वच्छता प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति। (5) अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र सत्यापित छायाप्रति। (6) पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति। (7) अभियंत्रण इकाई में कार्यरत कर्मियों की सूची एंव नियोजन के संबंध में नियोजनकर्त्ता एवं नियोजित अभियंता का शपथ-पत्र की सत्यापित प्रति। (8) यंत्र संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों को स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा निविदाकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति / फर्म / यंत्र संयंत्र उपलब्ध कराने का प्रति शपथ पत्र साथ ही व्यवहृत होने वाले यंत्र-संयंत्रों की व्यवस्था करने संबंधी प्रमाण पत्र (9)समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा नये निबंधित निविदाकरों द्वारा किसी अन्य कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र या राष्ट्रीयकृत बैंकों से कार्यक्षमता से संबंधित प्रमाण पत्र (10) विगत 5 (पाँच) वर्षों में से किसी तीन वर्ष का वार्षिक टर्न ओभर (11) साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की सत्यापित प्रति। (12) निविदाकार के अधीन लम्बित कार्यों की राशि सहित सूची मूल में (13) अग्रधन की राशि जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (ऑठवा निर्गम), किसान विकास पत्र अथवा सावधि 1,2,3 वर्षीय जमा पासबुक के रूप में हो तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, आरा के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त हो, मूल में समर्पित किया जाएगा। यदि इनमें कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके तकनीकी बीड काके अमान्य कर दिया गया जायेगा। दूसरे लिफाफा (वित्तीय बीड) में, जिसके उपर लिफाफा संख्या-2 लिखा हो, कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाएगा। दोनों लिफाफें को एक बड़े लिफाफें में डालकर निविदा जमा किया जाएगा। बड़े लिफाफे को खोलने के बाद सबसे पहले लिफाफा संख्या-1 खोला जायेगा तथा अभिलेखों के जाँचोपरान्त पर मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं को वित्तीय बीड बाद में खोला जायेगा, जिसकी तिथि की सूचना समयानुसार दी जायेगी, तकनीकी बीड में जो निविदादाता असफल होंगे उनका बीड (लिफाफा संख्या-2) बिना खोले उन्हें वापस कर दिया जायेगा। 50 लाख रूपये तक की लागत की योजना के लिए

एक ही लिफाफे में निविदा प्राप्त किया जायेगा अर्थात प्रथम लिफाफे (तकनीकी बीड) की आवश्यकता नहीं होगी।

1. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, आरा

2. परिमाण विपत्र निर्गत करने की तिथि एवं समय :- दिनांक 04.08.2010 को 1:00 बजे अपराह्न तक।

3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक 05.08.2010 को 3:00 बजे अपराह्न तक।

4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 05.08.2010 को 3:30 बजे अपराह्न तक।

5. परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान :-
   1. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, आरा।
   2. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल-2, सासाराम।
   3. मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

6. निविदा प्राप्ति का स्थान :- 1. समाहरणालय स्थित जिला नियंत्रण कक्ष (आरक्षी अधीक्षक, भोजपुर के कार्यालय परिसर में) तथा कॉलम 5 के क्रमांक 2 एवं 3 पर।

7. कार्य का विवरण :-

क्रम सं.	कार्य का नाम	प्रा॰ राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रू॰ में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू॰ में)	कार्य समाप्ति की अवधि
01.	बभनौली निर्मलपुर, पथ से सैदपुर, ग्राम तक सड़क मरम्मति कार्य (पी॰सी॰सी॰ कार्य)	18.00	36,000.00	5,000.00	3 माह
02	आरा सरैया पथ से चौमुखा गाँव तक पथ के अवशेष भाग में मरम्मति (पी॰सी॰सी॰ कार्य)	9.00	18,000.00	1,250.00	3 माह
03	आरा सरैया पथ से शोभी डुमरा गाँव के उस पार तक सड़क मरम्मति कार्य (पी॰सी॰सी॰ कार्य)	23.00	46,000.00	5,000.00	3 माह
04.	लहठान राजवाहा नहर से लहठान हाईस्कूल तक पथ मरम्मति कार्य	33.00	66,000.00	5,000.00	3 माह
05	देवकी सिंह के टोला से दुलहीनगंज टोला तक पथ	17.00	34,000.00	5,000.00	3 माह

	मरम्मति कार्य (पी०सी०सी० कार्य)				

8. अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी / आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए जिस जिले का पता निबंधन में अंकित है अथवा जहाँ व्यवसाय चल रहा है। व्यवसाय वाले जिले में उनके द्वारा कराये गये कार्यों, प्रगतिशील कार्य एवं कार्यालय का पता से संबंधित साक्ष्य देना हैं पार्टनरशीप के मामले में प्राईम पार्टनर का आचरण प्रमाण पत्र आवश्यक है। (विभागीय पत्रांक-103/2008 (खण्ड-2) 11242 दिनांक 21.12.2009 के निर्देशानुसार)

9. उपरोक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (नहीं लौटाने योग्य) किसी भी राष्ट्रीय बैंक के ड्राफ्ट के रूप में जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, आरा में भुगतेय हो, दिया जाना होगा। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि प्राप्ति कर परिमाण विपत्र की बिक्री नहीं की जायेगी।

10. कार्य को विशिष्टि के अनुरूप करने हेतु सभी आवश्यक मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों, गुण नियंत्रण उपकरणों के स्वामित्व प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना होगा। नये व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया है कि आवश्यक मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों, गुण नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वयं करनी होगी। निविदादाता अगर किसी व्यक्ति/फर्म से यंत्र-संयंत्र की व्यवस्था संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की स्थिति में विभाग द्वारा इसकी सत्यता एवं कार्यभार के संबंध में संतुष्ट हो लिया जायेगा। यदि कार्य को विशिष्टि के अनुरूप सम्पन्न करने हेतु यंत्र-संयंत्रों, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला इत्यादि एवं इन्हें स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि (हॉट मिक्स प्लांट, गुण नियंत्रण, प्रयोगशाला आदि के लिए) की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित नहीं की जाती है और इसके चलते कार्य समयपर पूर्ण नहीं होता है तो संवेदक को काली सूची में डालने की कार्यवाई की जायेगी।

11. पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म निविदा का पात्र नहीं होगा। यदि किसी फर्म को काई पार्टनर रनिंग संवेदक है तथा उनका अलग निबंधन है तो उनके नाम से निर्गत किसी भी मशीन का स्वामित्व अनुभव इत्यादि की मान्यता फर्म के लिए नहीं दी जायेगी।

12. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है। अतः अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी।

13. संवेदक या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा।

14. निविदादाताओं को आवंटित कार्य से संबंधित सभी सामग्री के क्रय का प्रमाणक जिसमें उनकी विशिष्ट का स्पष्ट वर्णन हो, समर्पित करना होगा, जिसके अभाव में भुगतान रोक दिया जा सकता है।

15. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल, प्राक्कलन एवं क्वैरी इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

16. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।

17. संवेदक के द्वारा विविध कार्यों के लिए एकरारनामा लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ-2 पर किया जाता है तथा पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-ए०-21 नियम-8/92-6113(ए) दिनांक 18.11.2002 के एकरारनामा प्रपत्र एफ-2 की कंडिका संख्या-23 को विलोपित माना जायेगा।

18. विभाग के सक्षम पदाधिकारी को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

19. कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 80/100 या 60/70 ग्रेड तक बिटुमेन जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदकों द्वारा स्वयं अपनी लागत पर की जायेगी जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमेन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमेन क्रय के 48 घंटे के अन्दर कैशमेमों संबंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा।

20. निविदा में सफल संवेदक को एकरारनामा करने के उपरांत साप्ताहिक एवं मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा एवं कार्योदेश निर्गत होने के पश्चात् अविलम्ब कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित सूची पट्ट उसके आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त कार्य प्रारंभ के पूर्व कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त अर्थात कार्य की तीनों स्थितियों से संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करानी होगी जो उन फोटोग्राफ/सी०डी० की जाँचोंपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उन्हें संबंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी / सहायक अभियंता को समर्पित करेंगे।

21. एकाधिक निविदाकारों से उद्वत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये एक निविदाकार के साथ ही दर प्रक्रमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

22. थ्नविदाकार पथ निर्माण विभाग के अधीन उपलब्ध हॉट मिक्स प्लांट एवं इक्वीपमेंट बैंक के विरूद्ध भी निविदा दे सकते हैं जिसके लिए उन्हें तकनीकी बीड के साथ अपनी सहमति एवं इक्वीपमेंट बैंक के प्रबंधक की सहमति संलग्न करनी होगी।

23. त्कनीकी बीड के मूल्यांकन में उसी यंत्र संयंत्र के विरूद्ध अंक दिया जायेगा जो ग्रामीण कार्य विभाग या पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी से निविदा तिथि के छः माह पूर्व की अवधि में भौतिक रूप में सत्यापित होंगे। ऐसी स्थिति नहीं होने पर यंत्र संयंत्र (गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उपकरणों के साथ) का सत्यापन निविदा प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता द्वारा सम्बेदक को सूचना देकर करना होगा। सूचना देने के बाद भी जो सम्बेदक भौतिक सत्यापन में सहयोग नहीं करेंगे उनकी मशीनों के विरूद्ध कोई अंक नहीं दिया जायेगा और यह माना जायेगा कि मशीन उनके पास उपलब्ध नहीं है।

24. जिस सम्बेदक के आचरण प्रमाण पत्र में वैध अवधि अंकित है, उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करने पर आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी। जिस सम्वेदक की वैध अवधि उल्लेखित नहीं है उसकी मान्यता आचरण प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि से छः माह मानी जायेगी।

25. राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने योग्य नहीं होंगे।

26. निविदा सूचना की अन्य सभी शर्त्तों को पूरा करने के बावजूद कोई निविदाकार निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे यदि –

    1. निविदाकार के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया है।

    2. किसी निविदाकार का कार्य निष्पादन का रेकार्ड खराब रहा हो। अर्थात् उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्त्तों के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नहीं करने में गंभीर विलंब किया हो विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमयता सिद्ध हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद पूरा करने हेतु लंबित हो।

3. निविदाकार द्वारा पूर्व में उसी कार्य हेतु Unreasonably ऊँचा या कम दर डाला गया हो, जिसके लिए उनके द्वारा नियोक्ता को कोई युक्तिपूर्ण कारण न बताया गया हो।

27. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगी।

28. कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित विभागीय दर से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत से कम दर की निविदा अमान्य होगी।

29. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा साकेतिक है। इसे बेवसाईट www.prd.bihar.org पर भी देखा जा सकता है।

30. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये रद्द कर दें, जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

31. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

32. निविदाकार द्वारा समर्पित किये जाने वाली सभी प्रमाण पत्र एवं कागजात उनके द्वारा स्वहस्ताक्षरित दिनांक के साथ होना आवश्यक है, अन्यथा जिस कागजात पर उनका स्वहस्ताक्षर दिनांक के साथ नहीं होगा उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2

आरा

समाचार पत्र में प्रकाशित :– (दिनांक :– 29-07-2010)

1. **Dainik Jaagran, Patna**
2. **Hindustan, Patna**
3. **Prabhat Khabar, Patna**
4. **Pindar, Patna**